न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/278

राजू आयु 55 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद आयु 62 वर्ष आत्मज श्री रामकिशन जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष आत्मज रामकिशन जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. अर्जुन आयु 48 साल आत्मज रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीमती नारंगी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा पत्नी श्री प्रहलाद आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती मन्नी बाई आयु 41 साल पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा पत्नी श्री सुखदेव जी गुर्जर साकिन हिण्डोली कीरों की घाटी के पास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमती बबली आयु 37 वर्ष पुत्री श्री रामकिशन जी गुर्जर निवासी ग्राम रिहाणा पत्नी श्री रामस्वरूप जी आत्मज हीरा लाल जी जाति गुर्जर निवीास ग्राम बालदडा तहसील के0 पाटन जयथल रोड के पास कुआ पर जिला बून्दी ।
7. श्रीमती मंजू बाई आयु 37 वर्ष पुत्री रतन लाल पत्नी भैरूलाल जी जाति गुर्जर निवासी शिवपुरा रावतभाटा रोड दूध की डेयरी के पास कोटा जिला कोटा
8. महेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र रतन लाल जाति गुर्जर निवासी शिवपुरा हनुमान बस्ती रावत भाटा रोड, हरिजनों का मोहल्ला कोटा जिला कोटा ।
9. नरेन्द्र आयु 37 साल आत्मज रतन लाल जाति गुर्जर निवासी शिवपुरा हनुमान बस्ती रावत भाटा रोड, हरिजनों का मोहल्ला कोटा जिला कोटा ।
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेज सिंह गौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 90 के अन्तर्गत ग्राम रिहाणा तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर नया 655 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा जिसके पुराने खसरा नम्बर 424/43 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार स्वर्गीय किशन आत्मज भैरू था जो लाऔलाद फौत हो गया । उक्त भूमि स्वर्गीय किशन ने वादी व प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के पिता रामकिशन, पन्नालाल व स्वर्गीय नन्दकिशोर को रहन बिल कब्ज कर कब्जा संभलाया था । उसके बाद स्वर्गीय नन्दकिशोर ने अपनी रकम लेकर कब्जा छोड दिया और पूरी भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता रामकिशन के नाम मु0बि0क0 दर्ज हो गई । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता के कब्जे में 52 साल तक रहने पर रहन की अवधि समाप्त होने पर स्वर्गीय किशन ने वादी व प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता से 5001/- रूपये नगद लेकर उक्त भूमि बेचान करके एक सादा बेचाननामा लिखवा कर अपना निशानी अंगूठा कर दिया । इस प्रकार वादी का 35 साल का कब्जा मुखालाफना होने से वादी स्वतः ही उक्त भूमि का खातेदार बन गया है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित करने की डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान की जावे । राजस्व रिकॉर्ड में स्वर्गीय किशन व प्रतिवादी क्रम 1 से 7 का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 के द्वारा पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत की भावना से निर्णय किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में कायममुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त भी सुशीला के कायममुकामान को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अन्य रेस्पोडेन्ट को भी कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद हक घोषणा का प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया है । अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है और निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । उक्त वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम हो चुकी थीं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में कायममुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त भी सुशीला के कायममुकामान को कोई नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अन्य रेस्पोडेन्ट को भी कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद हक घोषणा का प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया है । अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है और निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । उक्त वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम हो चुकी थीं । वादग्रस्त आराजी 50 वर्षो से भी अधिक समय से वादी अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है । लोक अदालत में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 07 के कायममुकामान की तलबी में चल रही थी और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.05.2015 नियत की गई थी। इससे पूर्व ही इसे दिनांक 25.05.2015 को लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन निर्णय पारित किया गया । लोक अदालत में केवल वादी एवं प्रतिवादी कम 2 रामस्वरूप उपस्थित हुए हैं शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ हो ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है और न ही कोई राजीनामा पत्रावली में संलग्न किया गया है और उसी दिन निर्णय पारित किया गया है जो स्पष्ट आदेश नहीं है उक्त निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है । दावा वादी डिकी किया है अथवा खारिज किया है यह भी अंकित नहीं किया गया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 07 के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा